"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 अगस्त 2017— श्रावण 23, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-70/2017/32. — यत:, राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1481-1473-बत्तीस-88, दिनांक 9 मार्च, 1988 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 41) की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किया है;

और यत: People for Education and Research Scholarship and Outward Nutrition, New Delhi Vs. Union of India and Central Pollution Control Board, Original Application No. 471 of 2016 के मामले में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रमुख खण्डपीठ, नई दिल्ली ने आदेश दिनांक 16 मई 2017 द्वारा, राज्य सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिया है,-

"संबंधित राज्य सरकार, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 41) की धारा 19 की उप-धारा (3) के संदर्भ में निर्णय लेगी कि क्या 'पेट कोक' अनुमोदन ईंधन है या नहीं तथा दो माह की कालावधि के भीतर अपना निर्णय अधिसूचित करेगी."

और यत: अभिलेख के विषयों एवं तथ्यों का परीक्षण करने के पश्चात् एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श पश्चात्, राज्य सरकार की यह राय है कि 'पेट कोक' के उपयोग से वायु प्रदूषण होने की संभावना होती है यदि धातुमल (क्लिंकर) के विनिर्माण के लिए सिमेंट भट्ठे से भिन्न किसी उद्योग/संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है;

अतएव, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 41) की धारा 19 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, धातुमल (क्लिंकर) के विनिर्माण के लिए सिमेंट भट्ठे से भिन्न किसी उद्योग/संयंत्र में ईंधन के रूप में 'पेट कोक' के उपयोग को, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, तत्काल प्रभाव से, निषिद्ध करती है; और उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन धातुमल (क्लिंकर) के विनिर्माण के लिए ही सिमेंट भट्ठे में अनुमोदित ईंधन के रूप में 'पेट कोक' के उपयोग हेतु, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाये, अनुमति प्रदान करने के लिये, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 5-70/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-08-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 14th August 2017

NOTIFICATION

No. F 5-70/2017/32.— Whereas, the State Government vide this department's Notification No. 1481-1473-XXXII-88, dated 9th March, 1988 has notified pollution control area for the whole State of Chhattisgarh under sub-section (1) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981);

And Whereas, in the matter of People for Education and Research Scholarship and Outward Nutrition, New Delhi Vs. Union of India and Central Pollution Control Board, Original Application No. 471 of 2016, the Principal Bench of National Green Tribunal, New Delhi has vide order dated 16th May, 2017 given the following directions to the State Government,-

"The respective State Government shall take a decision as to whether the 'Pet coke' is an approved fuel or not in terms of sub-section (3) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and notify their decision within a period of two months."

And Whereas, after examining the matter and fact on record and after consulting the Chhattisgarh Environment Conservation Board, the State Government is of the opinion that the use of 'Pet coke' is likely to cause air pollution if used as a fuel in any industry/plant other than the cement kiln for manufacturing of clinker;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981), the State Government, hereby, prohibits use of 'Pet coke' as a fuel in any industry/plant other than the cement kiln for manufacturing of clinker in whole State of Chhattisgarh with immediate effect; and authorize the Chhattisgarh Environment Conservation Board as a Competent Authority to allow the use of 'Pet coke', subject to such conditions as may be prescribed, as an approved fuel in the cement kiln only for manufacturing of clinker under clause (d) of Section 2 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.